प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक- 30.08.2026

लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अ भयुक्त गरफ्तार, लूट का मोबाइल, नकदी, पायल, बैग व महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद

घटना का सं क्षप्त ववरण

दिनांक 21.08.2026 को आवेदक कमलाकान्त बारिक पुत्र स्व0 गंगाधर बारिक निवासी गर्गी, समु लया, बालासोर, उड़ीसा द्वारा बताया गया क वह अपनी बहन से मलने के बाद वापस उड़ीसा जाने हेतु भदोही रेलवे स्टेशन जा रहा था। समय करीब 20.00 बजे कस्तूरीपुर पहुंचने पर साधन न मलने के कारण सड़क कनारे खड़ा था, तभी एक हरे रंग के ट्रैक्टर संख्या UP-70 DS-6749 पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा उसे ट्रैक्टर पर बैठा लया गया। उक्त व्यक्तियों द्वारा भदोही पहुंचने से पूर्व कच्ची सड़क से ग्राम रया के समीप ले जाकर ट्रैक्टर रोक दिया गया तथा उसका मोबाइल फोन, ₹700 नकद एवं अन्य सामान छीन लया गया। वादी के बैग में मोबाइल, नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कक्षा 10 व 12 की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट/सर्टि फकेट, कपड़े एवं पायल आदि सामान था। घटना के संबंध में वादी द्वारा डायल-112 पर सूचना देने के उपरान्त थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 409/2026 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत कर अ ग्रम व धक कार्यवाही प्रच लत की गई।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 30.08.2026 को थाना स्थानीय पु लस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबं धत अ भयुक्तों एवं लूटे गए माल की पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई क मुकदमा उपरोक्त से संबं धत अ भयुक्त नई बाजार में बोरिंग का कार्य कर रहे हैं। सूचना पर वश्वास कर पु लस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए 03 अ भयुक्तों को गरफ्तार कया गया। अ भयुक्तों के कब्जे से लूट

का सामान बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

* गरफ्तार अ भयुक्तों का ववरण:-*

1. मथुन कुमार गौतम पुत्र स्व0 भगेलू राम निवासी मुस्तफाबाद, पोस्ट धीराजपुर, थाना बक्सा, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 38 वर्ष।

2.अजीत गौतम पुत्र वजय गौतम निवासी शीतलगंज अहिरौली, थाना म ड़याहूं, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 19 वर्ष।

3.कमलेश जायसवाल पुत्र स्व0 ओमकार जायसवाल निवासी शीतलगंज अहिरौली, थाना म ड़याहूं, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का ववरण:-

₹1,700/- नकद,01 अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी, मरून रंग,01 अदद पायल सफेद धातु,01 अदद काले रंग का बैग जिसमें 01 अदद पैन कार्ड,01 अदद आधार कार्ड,01 अदद वोटर आईडी,04 अदद अंकपत्र/सर्टि फकेट प्राप्त हुए एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद न्यू हॉलैण्ड ट्रैक्टर संख्या UP-70 DS-6749, जिसे धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कया गया।

पूछताछ का ववरण:-

पूछताछ में अ भयुक्त मथुन कुमार गौतम ने बताया क करीब एक सप्ताह पूर्व वह अपने साथ काम करने वाले अजीत गौतम व कमलेश जायसवार के साथ बोरिंग वाले ट्रैक्टर से सुरियावां की तरफ से मोढ़ भदोही आ रहा था। कस्तूरीपुर के पास एक व्यक्ति अकेला खड़ा मला, जिसे तीनों ने ट्रैक्टर पर बैठा लया। भदोही से पहले निर्माणाधीन कच्चे बाईपास रिंग रोड से ग्राम रया के पास ले जाकर उसका मोबाइल, बैग, रुपये एवं अन्य सामान छीनकर उसे ट्रैक्टर से उतार दिया गया। बाद में बैग की तलाशी लेने पर उसमें नकदी, मोबाइल, पायल, पहचान पत्र, मार्कशीट, सर्टि फकेट एवं कपड़े मले। नकदी को तीनों ने आपस में बांट लया तथा पायल को अजीत गौतम को बेचने के लए दिया गया।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

निरीक्षक बुद् ध सागर यादव मय हमराह, हे0का0 हरिकेश यादव, का0 सेराफुल हसन, उ0नि0 मोती संह यादव, का0 शक्तिपाल एवं का0 भूपेन्द्र यादव।